

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तराञ्चल, उत्तराखण्ड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-9879141480
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत-गुजरात, संस्करण शनिवार 13 जुलाई 2024 वर्ष-7, अंक-170 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रुपये

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पहला कॉलम



जो करेगा जात की बात.....उसे मारूंगा कसकर लात गडकरी

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जाति आधारित राजनीति करने वाले नेताओं पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि महाराष्ट्र में वर्तमान में जातिनीति की राजनीति हो रही है। मैं किसी भी नेता के जात-पात को नहीं मानता हूँ और जो इकाई बात करेगा मैं उस कसकर लात मारूंगा। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि मैं भी संसदीय क्षेत्र में कीरीब 40 फीसदी मुसलमान बोटां हैं। मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था कि मैं आरएसएस बाला हूँ और हाफ चड्डी बाला हूँ। इन्हाँने कहा कि किसी को बाट देने से पहले सोच लो कि बाद में पछताना न हो पड़े। गडकरी ने कहा कि जो मुझे बाट देगा उसका भी काम होगा और जो लोट नहीं देगा उसका काम भी मैं करूँगा। भाजपा नेता गडकरी ने कहा कि किसी भी शख्स जाति के आधार पर बड़ा नहीं होता है। गरीबी, भूखर्ती और रोजगार सबके लिए है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैंनें बड़े गढ़ी को आवाज को दबा दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और और मैंनें गडकरी ने कहा कि यह नेता जयशमि रमेश ने कहा कि यह नॉन बायोलॉजिकल

हिमाचल में लैंडस्लाइड से यातायात बाधित, लोगों में आक्रोश, यात्री खुद हटा रहे मलबा

नाहन। हिमाचल प्रदेश के नाहन में हिमपुरधार-नौहारधार मार्ग पर लैंडस्लाइड होने से यात्री फंस गए और मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें बढ़ रही हैं। ऐसे में जाम में फंसे लोग ही खुद सड़क से बाहर हटाने में जुट गए हैं। बहुत फंसे लोगों की जांच की जा रही है। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया कि पीड़ियांडी की तरफ से यहां पर जेसीबी तैनात नहीं है। प्रशासन को सूचना देने के बावजूद कोई जिम्मेदारी भरा कदम नहीं उठाया जा रहा है। बता दें कि पूरा मामला जिला सिरमौर के उत्तरमंडल संगढ़ा के अंतर्गत का है। यहां पर मुख्य मार्ग हिमपुरधार-नौहारधार के बीच नजदीकी मार्ग पर भारी भूस्खलन से रस्ता बंद हो गया है। विछोर ने कहा कि यह नेता जयशमि रमेश ने कहा कि वह नॉन बायोलॉजिकल

कर्तमीर में लगे भूकंप के झटके, लोगों में दहशत

कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं जिसकी तीव्रता 4 की मापी गई है। इन भूकंप के झटके से लोग दहशत में आ गए। भूकंप दोपहर करीब 12:26 बजे आया। इसका केंद्र शिल्प रेसे तीन गुरु दूर था। भूकंप से भारत और पाकिस्तान दोनों देश के प्रभावित होने की खबर है। फिलहाल किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। बता दें कि इसपे पहले जम्पू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में भूकंप आया था। यह भूकंप 4 अप्रैल को आया था। अधिकारियों ने बताया कि दोनों भूकंपों का केंद्र किश्तवाड़ ही था। रास्तीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक विश्वावाड़ में रात 11 बजार के एक मिनट पर 3.2 तीव्रता का भूकंप था। फिल्मीपास के दक्षिणी घटकों से लोगों में दहशत फैल गई। झटके महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए।

सीजेआई का सुनवाई से इंकारहर चीज जनहित याचिका के रूप में नहीं

नई दिल्ली। यूपी के हाथरास में 2 जुलाई को हुई भूमध्य मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई थी। याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायीशी की निगरानी में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की मांग की गई थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीले ने कहा कि हर चीज जनहित याचिका के रूप में नहीं आनी चाहिए। घटना को लेकर अपांगकार्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, बेकार यह एक परेशान करने वाली घटना है। उसने डिफेंस सेक्टर के स्वदेशीकरण पर भी जोर दिया है। उसने उपर्युक्त अनुच्छेद 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में बीचे आये वकील की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायीशी की निगरानी में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की मांग की गई थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीले ने कहा कि हर चीज जनहित याचिका के रूप में नहीं आनी चाहिए। घटना को लेकर अपांगकार्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, बेकार यह एक परेशान करने वाली घटना है। उसने डिफेंस सेक्टर के स्वदेशीकरण पर भी जोर दिया है। उसने उपर्युक्त अनुच्छेद 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में बीचे आये वकील की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायीशी की निगरानी में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की मांग की गई थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीले ने कहा कि हर चीज जनहित याचिका के रूप में नहीं आनी चाहिए। घटना को लेकर अपांगकार्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, बेकार यह एक परेशान करने वाली घटना है। उसने डिफेंस सेक्टर के स्वदेशीकरण पर भी जोर दिया है। उपर्युक्त अनुच्छेद 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में बीचे आये वकील की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायीशी की निगरानी में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की मांग की गई थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीले ने कहा कि हर चीज जनहित याचिका के रूप में नहीं आनी चाहिए। घटना को लेकर अपांगकार्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, बेकार यह एक परेशान करने वाली घटना है। उसने उपर्युक्त अनुच्छेद 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में बीचे आये वकील की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायीशी की निगरानी में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की मांग की गई थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीले ने कहा कि हर चीज जनहित याचिका के रूप में नहीं आनी चाहिए। घटना को लेकर अपांगकार्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, बेकार यह एक परेशान करने वाली घटना है। उसने उपर्युक्त अनुच्छेद 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में बीचे आये वकील की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायीशी की निगरानी में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की मांग की गई थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीले ने कहा कि हर चीज जनहित याचिका के रूप में नहीं आनी चाहिए। घटना को लेकर अपांगकार्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, बेकार यह एक परेशान करने वाली घटना है। उसने उपर्युक्त अनुच्छेद 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में बीचे आये वकील की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायीशी की निगरानी में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की मांग की गई थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीले ने कहा कि हर चीज जनहित याचिका के रूप में नहीं आनी चाहिए। घटना को लेकर अपांगकार्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, बेकार यह एक परेशान करने वाली घटना है। उसने उपर्युक्त अनुच्छेद 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में बीचे आये वकील की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायीशी की निगरानी में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की मांग की गई थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीले ने कहा कि हर चीज जनहित याचिका के रूप में नहीं आनी चाहिए। घटना को लेकर अपांगकार्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, बेकार यह एक परेशान करने वाली घटना है। उसने उपर्युक्त अनुच्छेद 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में बीचे आये वकील की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायीशी की निगरानी में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की मांग की गई थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीले ने कहा कि हर चीज जनहित याचिका के रूप में नहीं आनी चाहिए। घटना को लेकर अपांगकार्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, बेकार यह एक परेशान करने वाली घटना है। उसने उपर्युक्त अनुच्छेद 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में बीचे आये वकील की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायीशी की निगरानी में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की मांग की गई थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीले ने कहा कि हर चीज जनहित याचिका के रूप में नहीं आनी चाहिए। घटना को लेकर अपांगकार्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, बेकार यह एक परेशान करने वाली घटना है। उसने उपर्युक्त अनुच्छेद 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में बीचे आये वकील की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायीशी की निगरानी में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की मांग की गई थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीले ने कहा कि हर चीज जनहित याचिका के रूप में नहीं आनी चाहिए। घटना को लेकर अपांगकार्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, बेकार यह एक परेशान करने वाली घटना है। उसने उपर्युक्त अनुच्छेद 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में बीचे आये वकील की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायीशी की निगरानी में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की मांग की गई थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ क


लालेत गगे

भारत-रूस का मत्रा का
व्यापक महत्व है। यह
पुराना मित्र देश का भारत
की ताकत रहा है,
मार्गदर्शक रहा है, हर
सुख-दुःख का साथी रहा
है। नेहरु युग से ही
भारत-रूस के बीच घनिष्ठ
संबंध रहे हैं। दोनों देशों
की संस्कृति, संगीत,
कला, साहित्य के बीच भी
गहरा आत्मीय लगाव रहा
है। भारतीय फिल्में रूस
में बड़े चाव से देखी जाती
रही है। कश्मीर के मसले
पर भारत जब-जब
अलग-थलग पड़ता रहा,
तब तब रूस ने भारत का
साथ दिया।

संपादकीय

प्रगतशाल फेसला

सुप्राप्त काटने न बुधवार का तलाकशूदा मुस्लिम माहनाता के अधिकारों के संरक्षण में ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसला सुनाया है जिसका भारतीय राजनीति और समाज पर दृगमी असर पड़ेगा। वक्तुतः शीर्ष अदालत का यह फैसला भारतीय समाज के एक विशेष धार्मिक समूह में जौरद जड़ता, यथार्थितावाद को तोड़ने वाला साबित होगा। यह एक प्राथमिकता फैसला है जिसमें मुस्लिम समाज की पीड़ित तलाकशूदा महिलाओं के भरण-पोषण के अधिकार सुरक्षित हो पाएंगे। धर्मनिरपेक्ष, लाकर्तात्रिक और सभ्य समाज के



सुभा लागा न मुस्रीम काट क इस फैसले का स्वागत किया है। न्यायमूर्ति बीवी नागरला और अॅग्सटीन जॉर्ज मसीह को पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं दंड प्रक्रिया सहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 (गुजारा भत्ता प्राप्त करने का प्रावधान) सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, जिसके दायरे में मुस्लिम महिलाएं भी आती हैं। शीर्ष अदालत ने तलाकशुदा, बेसहारा और अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ महिलाओं की अधिक और आवासीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें सशक्त बनाने पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 और सीआरपीसी की धारा 125 दोनों की व्याख्या करते हुए यह व्यवस्था दी है कि 1986 के कानून से सीआरपीसी की धारा 125 में दिए गए अधिकार समाप्त नहीं हो जाते। लोगों को याद होगा कि 1985 में शाहबानों का मामला बहुत चर्चित हुआ था और इस मामले ने तब की राजनीति को गहरे तक प्रभावित किया था। शाहबानों ने अपने पति मो. अहमद खान से तलाक के बाद मुआवजा के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने मुआवजा देने का आदेश पारित किया था लेकिन मुस्लिम समुदाय के विरोध के कारण तब की राजीव गंधी सरकार ने संसद में कानून बनाकर शीर्ष अदालत के फैसले को पलट दिया था। तब से अब तक भारतीय राजनीति की धारा बहुत बदल गई है। अब कांग्रेस ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। भाजपा का तो यहचुनावी मुद्दा ही रहा है। जाहिर है कि उसने भी स्वागत किया है। बहरहाल, इस मानवीय और कल्याणकारी फैसले से तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के जीवन में नई रोशनी आएगी।


चतन-मनन

प्रकाशस्त्रात परम

जान ही सूर्य, चन्द्र तथा नक्षत्रों जैसी प्रकार

प्रकाशित हो जाना साहस्र जीता है। युद्ध के बहुत उपर मृत्यु या कदम्भ की आवश्यकता नहीं पड़ती, व्योकि वहाँ परमेश्वर का तेज विद्यमान है। भौतिक जगत में ब्रह्मज्ञोति या भगवान का आध्यात्मिक तेज भौतिक तत्वों से ढका रहता है। अतः हमें सूर्य, चन्द्र, बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। वैदिक साहित्य में पृष्ठ है कि भगवान आध्यात्मिक जगत (वैकुंठ लोक) में स्थित हैं। श्वेतातर उपनिषद में कहा गया है—आदित्यवर्ण तमस-परस्तात अर्थात् वे सूर्य की भाँति अत्यन्त तेजोमय हैं, लेकिन भौतिक जगत के अन्धकार से बहुत दूर हैं। उनका ज्ञान दिव्य है। वैदिक साहित्य पृष्ठ करता है कि ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान है। जो वैकुंठ जाने का इच्छुक है, उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है। एक वैदिक मंत्र है तं ह देवम आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुवे शरणामहं प्रपद्ये। अर्थात् मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की शरण में जाए। जहां तक चरम ज्ञान के लक्ष्य का सम्बन्ध है, वैदिक साहित्य से भी पृष्ठ होती है—तमेव विदित्वात् मृत्युर्मृत्यायानी उन्हें जान लेने के बाद ही जन्म तथा मृत्यु की परिधि

को लाघा जा सकता है।
वे प्रत्येक हृदय में परम नियन्ता के रूप में स्थित हैं। परमेश्वर के हाथ-पैर सर्वत्र फैले हैं लेकिन जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अतः मानना ही पड़ा कि कायशेत्र जानने वाले दो ज्ञाता हैं- एक जीवात्मा तथा दूसरा परमात्मा। पहले के हाथ-पैर किसी एक स्थान तक सीमित हैं जबकि कृणि के हाथ-पैर सर्वत्र फैले हैं। इसकी पुष्टि श्वेतार उपनिषद में इस प्रकार हुई है। सर्वस्थ प्रभुमीशानं सर्वर्यश्च शरणं बृहत् यानी वह परमेश्वर या परमात्मा समस्त जीवों का स्वामी या प्रभु है। वह उन सबका चरम आश्रय है। अतः इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि परमात्मा तथा जीवात्मा भिन्न हैं।



रजनीश कपूर

ज ब भी किसी बड़े उद्योगपति, अधिनेता, मशहूर हस्ती या राजनेता को हवाई यात्रा करने पड़ती है तो वे अक्सर निजी चार्टर सेवा को ही चुनते हैं। निजी चार्टर सेवा महंगी तो अवश्य पड़ती है परंतु मशहूर हस्तियों को अपनी सुविधा अनुसार यात्रा करना और समय बचाना सुविधाजनक लगता है। साधारण एयरलाइन की तरह निजी चार्टर कंपनियों को भी देश के कानून का पालन करते हुए ये सेवाएं चलाने दी जाती हैं। नागरिक उड्डयन के सभी नियम और कानून का पालन सही तरह से हो, इसके लिए भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय और उसकी विभिन्न एजेंसियां यह सुनिश्चित करते हैं कि एयरलाइन इनमें कोई कोताही न बरत। परंतु क्या ऐसा सभी के साथ हो रहा है? क्या किसी निजी चार्टर एयरलाइन के साथ कोई पक्षपात तो नहीं किया जा रहा?

ताजा मामला निजी चार्टर सेवा प्रदान करने वाली एक कंपनी का है। इस पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारी विशेष महरबनियां कर रहे हैं। इसके चलते अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के साथ न सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है बल्कि दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। 'ए आर



एयरवेज़' नाम की निजी एयर चार्टर कंपनी यह खिलावड़ कर रही है। उक्तखेनीय है कि किसी भी गैर-अनुसूचित एयरलाइन के शीर्ष प्रबंधन को नागरिक उड्डयन आवश्यकताएं धारा - 3, श्रृंखला-सी, भाग- के पैरा 11 का अनुपालन करना होता है, जिसके अनुसार 'गैर-अनुसूचित ऑपरेटर के परमिट के नवीनीकरण के लिए नई सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता होती है। कंपनी और उसके निदेशकों की व्यक्तिगत सुरक्षा मंजूरी के नवीनीकरण का अनुरोध परमिट की समाप्ति से 180 दिन पहले 'ई-सहज पोर्टल' के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सुरक्षा मंजूरी को प्राप्त करने के लिए कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियाँ और निदेशकों को उनके खिलाफ लंबित कानूनी मामलों की घोषणा करना अनिवार्य होता है। इनमें से यदि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मामले में, दोषी पाया गया हो, तो उसकी सुरक्षा मंजूरी को तब तक वैध नहीं किया जा सकता जब तक वह कानूनी मामलों से

के पटना सेटर में भी हुई है। गुजरात के गोधारा में सबसे अच्छी पहले इस अपराध का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में गुजरात पुलिस ने अदालत को जो जानकारी प्रस्तुत की है, उसके अनुसार नीट के परीक्षणियों से दलालों ने 10 लाख रुपए नगद और ब्लैंक चेक लेकर उनकी परीक्षा दिलाने में मदद की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एस और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश दिलाने के नाम पर 60 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये में सौदा किया गया था। 10 लाख नगद एडवांस के तौर पर लिए गए थे। बेर्यर ब्लैंक चेक बिना तारीख के लिया गया था। गुजरात पुलिस ने जांच के दौरान चेक और नगद गश जस की है, सीधी आई भी चार स्थानों पर तलाशी ले चकी है। जिसमें

जिस तरह से पराशक्ति आ म पपर लाक हा रह ह। पराशक्ति आ के माध्यम से बड़े-बड़े घोटाले हो रहे हैं। नीट परीक्षा में इस बार लगभग 24 लाख विद्यार्थी शमिल हुए थे। भारत का यह सबसे बड़ा परीक्षा घोटाला है। सुप्रीम कोर्ट में 38 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है, जिसमें परीक्षा निरस्त करने की मांग याचिका कर्ताओं द्वारा की गई है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बैच इस मामले की सुनवाई कर रही है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सीबीआई और नेशनल टेरिस्टिक एजेंसी से विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। उससे लगता है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई सच्च फैसला दे सकता है।

धिजियां उड़ा कर गृह मंत्रालय द्वारा 'सिक्योरिटी
क्लीयरेंस' की बुनियादी आवश्यकताओं का लगातार
उल्लंघन करते हां प्रायप्रतिवर्ष चला गया है।

उद्धेष्य करता हुए एक नागरिक उद्योगी ने 2019 से 2024 तक विभिन्न विद्युत उत्पादन कार्यालयों को बढ़ाव दी। इसके अलावा, वह एक नियमित विद्युत उपलब्धि को बढ़ाव देने के लिए एक विशेष प्रणाली का विकास किया। इसके फलस्वरूप, उद्योगी ने अपने विद्युत उत्पादन कार्यालयों को बढ़ाव दी।

गुलाब के प्रभुरव रोग एवं निदान



शीर्षरंभीक्षय (डाई बैक):

निदान

- कलम किये हुए भाग पर बोर्ड पेस्ट या चौबटिया पेस्ट लगाना चाहिए।
- कैराथेन 0.1 प्रतिशत अथवा बाविस्टीन 0.1 प्रतिशत का छिड़काव करना चाहिए।

चूर्णी फफूंद (पाऊडरी मिल्ड्यू)

पहचान- यह एक फफूंद जनित रोग है। यह रोग स्फेरोथिका पेनोसा रोगजनक फफूंद से होता है, जिसमें या पुरानी पत्तियों पर सफेद धब्बे बनते हैं तथा रोग की अधिकता के कारण सफेद चूर्णी फफूंदी पौधे के संपूर्ण भाग में फैल जाता है, फूल एवं पत्तियों का आकार घट जाता है।

निदान

- रोग ग्रसित पौध अवशेषों को जलाकर नष्ट करें।
- इकट्ठा कर नष्ट कर दें।
- कैराथेन 0.1 प्रतिशत अथवा बाविस्टीन 0.1 प्रतिशत का छिड़काव करना चाहिए।



गेस्टआयारस्ट



रोग पहचान

यह रोग फ्रेशमीडियम मुकोनेटम नामक फफूंद से होता है, रोग ग्रसित पौधों की पत्तियों पर नारंगी रंग के स्फोट बनते हैं, जिसके अंदर बीजाणु भरे रहते हैं, रोग ग्रसित पौधों में फूल छोटे तथा फीकापन लिए होते हैं।

निदान

- रोग ग्रसित पौध अवशेषों को जलाकर नष्ट करें।
- मेन्कोजेब 0.25 प्रतिशत अथवा सल्फर 0.2 प्रतिशत का छिड़काव करें।



हरी-भरी ज्वार



भूमि का चयन

ज्वार की खेती अच्छे जल निकास वाली सभी भूमि में की जा सकती है।

भूमि की तैयारी

गर्भी की फसल के कटाई के बाद गहरी जुताई करें। वर्षा होने पर हैरो द्वारा 1-2 जुताई करें पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा कर लें।

बोनी का समय

मध्य जून से जुलाई प्रथम सप्ताह तक बोनी करें।

बोवाई

ज्वार को नम मिट्टी में सदैव कम गहराई में बोयें।

उर्वरक की मात्रा

ज्वार की देशी किस्में संकर किस्मों की अपेक्षा कम पोषक तत्व ग्रहण करती है। अतः उर्वरक की मात्रा भिन्न-भिन्न होती है।

फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा आधार रूप में बोते समय कूंडों में देते हैं। तथा नत्रजन को 1/3 भाग आधार रूप में बोते समय, 1/3 भाग 20 दिनों बाद तथा 1/3 भाग 40 दिन बाद दें।

रिक्त स्थानों को भरना एवं विरला करना—बीज का अंकुरण 5-6 दिन में न हुआ होने पर नया बीज बोयें।



अंतरवर्तीय एवं मिश्रित फसल

ज्वार+सोयाबीन (2:4), ज्वार+तिल, ज्वार+उड़द/मूंग (2:4), ज्वार+अरहर (4:2)

पौध संरक्षण

कीट- तनाभेदक — इसकी रोकथाम के लिए फ्लूरोडान 3 प्रतिशत 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अंकुरण के 10-15 दिन बाद पौधों की गोफ में डालें।

पत्ती लपेटक — इसकी रोकथाम के लिये किवनालफॉस 2 से 3 मिली प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।

कटाई एवं गहाई

चारे के लिये फसल की कटाई (बोवाई के 60-70 दिन बाद) करें।

ओसत उपज

देशी किस्मों 15-20 किं/हें।
संकर व संकुल जातियों 40-50 किं/हें।
कड़वी की उपज 60-80 किं/हें।



लीफ कर्ल

पहचान: यह एक विषाणु जनित रोग है, जिसमें पौधा किसी भी अवस्था में प्रभावित हो सकता है। पौधों की पत्तियाँ छोटी एवं मुड़े हुए निकलते हैं। पत्तियाँ विकृत होने लगती हैं और मोटी हो जाती हैं। फूल कम आते हैं, फल छोटे रह जाते हैं।




मोजेक

पहचान : यह विषाणु जनित रोग है, जिसमें पत्तियाँ पीली, सिकुड़ी हुई एवं विकृत हो जाती हैं। पत्तियाँ, तन्न तथा फलों पर पीले धब्बे बन जाते हैं। पत्तियाँ की मूल एवं सहायक नाड़ियाँ उभरी हुई एवं पीली दिखाई देती हैं।

निदान

- रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट करें।
- रोग रोधी किस्म लगायें।



तना या पद गलन (स्टेम या फ्रूट रॉट)

पहचान : यह रोग पीथियम अफेनीर्डेटम नामक फफूंद से होता है, इसमें भूमि के सतह के पास तने में जलीय दाग के धब्बे बनते हैं, एवं बाद में बढ़कर पूरे तने में चारों ओर फैल जाते हैं। पत्तियाँ पीली होकर मुरझा जाती हैं। तने के उत्तक, सूखकर मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देता है, तना गलने लगता है एवं जड़-सड़ जाती है।

निदान

- रोग ग्रसित पौधों को जड़ सहित उखाड़कर नष्ट करें।
- 10 ली. प्रति वर्ग मी. की नर्सरी को बोर्डमिश्रण से उपचारित करें।

पूर्व अग्निवीर सीआईएसएफ में होंगे भर्ती, शारीरिक परीक्षा व आयु सीमा में मिलेगी छूट

-केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने लिया नहत्वपूर्ण निर्णय

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा पूर्व अग्निवीरों का केंद्रीय सुरक्षा बलों में भर्ती हेतु महत्वपूर्ण नियम लिया गया है। सीआईएसएफ ने भी इसके तहत पूर्व अग्निवीरों की सीआईएसएफ में भर्ती के लिए तैयारियां कर ली हैं। इस तैयारी के अंतर्गत सभी अग्निवीरों के लिए 10 फोसदी कास्टेल बल पर आवंति होगी। इसके अंतर्गत उनको शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट दी गई है, जो आयु सीमा में भी छूट दी गई है। आयु सीमा को ये छूट प्रथम वर्ष में पांच वर्ष तक की है, वहाँ

आगामी वर्ष में तीन वर्ष तक की है। इस तैयारी के तहत सभी पूर्व अग्निवीरों द्वारा व्यवस्था का लाभ उठाएगा। इस व्यवस्था से सीआईएसएफ को भी फायदा होगा।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय अर्थसेवीक बलों में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती का बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय बलों में पूर्व अग्निवीरों के पफले बैच के बाद अग्निवीरों की फोसदी आरक्षण का प्रावधान किया जा रहा है, बैच के उनको आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। अग्निवीरों को जन० 2026 और जन० 2027 में डिस्चार्ज होगा, उनके लिए छूट की सीमा पांच साल होगी और बाद के बैचों के लिए ये सीमा तीन साल होगी। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण छूट के तहत अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा की जरूरत नहीं हो चुकी है। बैचों के अंगनवीरों को सीआईएसएफ में लेने की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आयु सीमा को ये छूट प्रथम वर्ष में पांच वर्ष तक की है, वहाँ

की छूट मिलेगी और 10 फोसदी आरक्षण दिया जाएगा। दूसरे बैच के अंगनवीरों के लिए तीन साल की छूट है।

आरपीएफ के डीजी मनोज यादव ने कहा कि कास्टेल स्टर पर जो भर्ती होगी, उसमें न के बल सभी श्रेणियों में 10 फोसदी आरक्षण का प्रावधान किया जा रहा है, बैच के उनको आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। अग्निवीरों को जन० 2026 और जन० 2027 में डिस्चार्ज होगा, उनके लिए छूट की सीमा पांच साल होगी और बाद के बैचों के लिए ये सीमा तीन साल होगी। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण छूट के तहत अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा की जरूरत नहीं होगी। आरपीएफ अग्निवीरों का अपेक्षा तैयारी के लिए छूट दी जाएगी।



अग्निपथ पर अग्निवीर..

भला हो कलेक्टर..... 65 करोड़ की अवैध फीस बच्चों को लौटाने का आदेश दिया

जबलपुर।

मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में प्रशासन ने 10 जिलों स्कूलों को 81 हजार से ज्यादा छात्रों से अवैध तरह पर बस्ती गई करीब 65 करोड़ रुपये की ट्रायुम्फ फीस व्यापक करने का आदेश दिया है। इन जिलों स्कूलों ने कानून का उल्लंघन करते हुए ट्रायुम्फ फीस में बढ़ाती की है। जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) घनश्यम सोनी ने बताया, मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विद्यार्थियों का विवरण) अधिनियम 2017 के तहत गतिः तीनों के लिए छूट की स्थिति समिति ने इन विद्यालयों के खातों में कानूनों के लिए विवरण दिया है। बला के बाद उनकी विधायिका की विवरण दिया है।



शुक्र ले रहे हैं। डीईओ सोनी ने कहा कि प्रशासन ने 2018-19 और 2024-25 के बैच 81 हजार 117 छात्रों से 65 करोड़ रुपये की फीस व्यापक करने का आदेश दिया है। इन जिलों स्कूलों ने कानून का उल्लंघन करते हुए ट्रायुम्फ फीस में बढ़ाती की है। नोटिस जारी करके अवैध रुपये से वस्तुती गई फीस व्याधियों को बापस करने का आदेश दिया है। कलेक्टर दीपक सक्सेना के अनुसार, इसमें कुछ स्कूलों ने सक्षम अधिकारियों की स्कूलों के अधिकारियों और पाठ्यपुस्तकों की मंजूरी के बाबत नहीं दी गई। इसके बाद उन्हें उत्तराखण्ड की विधायिका ने इन स्कूलों के खातों में दूषित लिए और उन्हें बदल दिया। जिला शिक्षा अधिकारी ने इन स्कूलों के बाद उनके विवरण करने की ओर आवंति की गई।

आप पर बीजेपी का हमला..... अतिशी और सौरभ भारद्वाज तैयार रहें

नई दिल्ली।

दिल्ली शाराब नीति मामले में सूप्रीम कोर्ट से अवैध के जरीबाल का अंतिम बल निलेंगे जिसे के बाद आप आदामी पार्टी और बीजेपी में बार-पलटवार का दौर शुरू हो गया है।

आप ने जहाँ फैसले को ऐतिहासिक जीत बताया है, वही बीजेपी ने लाल यादव को मिली अंतिम बल से के जरीबाल को तीनों की हालत नहीं में शुरू हो गया है।

आप ने जहाँ फैसले को ऐतिहासिक जीत बताया है, वही बीजेपी ने लाल यादव को मिली अंतिम बल से के जरीबाल को तीनों की हालत नहीं में शुरू हो गया है।

आप ने जहाँ फैसले को ऐतिहासिक जीत बताया है, वही बीजेपी ने लाल यादव को मिली अंतिम बल से के जरीबाल को तीनों की हालत नहीं में शुरू हो गया है।

आप ने जहाँ फैसले को ऐतिहासिक जीत बताया है, वही बीजेपी ने लाल यादव को मिली अंतिम बल से के जरीबाल को तीनों की हालत नहीं में शुरू हो गया है।

आप ने जहाँ फैसले को ऐतिहासिक जीत बताया है, वही बीजेपी ने लाल यादव को मिली अंतिम बल से के जरीबाल को तीनों की हालत नहीं में शुरू हो गया है।

आप ने जहाँ फैसले को ऐतिहासिक जीत बताया है, वही बीजेपी ने लाल यादव को मिली अंतिम बल से के जरीबाल को तीनों की हालत नहीं में शुरू हो गया है।

आप ने जहाँ फैसले को ऐतिहासिक जीत बताया है, वही बीजेपी ने लाल यादव को मिली अंतिम बल से के जरीबाल को तीनों की हालत नहीं में शुरू हो गया है।

आप ने जहाँ फैसले को ऐतिहासिक जीत बताया है, वही बीजेपी ने लाल यादव को मिली अंतिम बल से के जरीबाल को तीनों की हालत नहीं में शुरू हो गया है।

आप ने जहाँ फैसले को ऐतिहासिक जीत बताया है, वही बीजेपी ने लाल यादव को मिली अंतिम बल से के जरीबाल को तीनों की हालत नहीं में शुरू हो गया है।

आप ने जहाँ फैसले को ऐतिहासिक जीत बताया है, वही बीजेपी ने लाल यादव को मिली अंतिम बल से के जरीबाल को तीनों की हालत नहीं में शुरू हो गया है।

आप ने जहाँ फैसले को ऐतिहासिक जीत बताया है, वही बीजेपी ने लाल यादव को मिली अंतिम बल से के जरीबाल को तीनों की हालत नहीं में शुरू हो गया है।

आप ने जहाँ फैसले को ऐतिहासिक जीत बताया है, वही बीजेपी ने लाल यादव को मिली अंतिम बल से के जरीबाल को तीनों की हालत नहीं में शुरू हो गया है।

आप ने जहाँ फैसले को ऐतिहासिक जीत बताया है, वही बीजेपी ने लाल यादव को मिली अंतिम बल से के जरीबाल को तीनों की हालत नहीं में शुरू हो गया है।

आप ने जहाँ फैसले को ऐतिहासिक जीत बताया है, वही बीजेपी ने लाल यादव को मिली अंतिम बल से के जरीबाल को तीनों की हालत नहीं में शुरू हो गया है।

आप ने जहाँ फैसले को ऐतिहासिक जीत बताया है, वही बीजेपी ने लाल यादव को मिली अंतिम बल से के जरीबाल को तीनों की हालत नहीं में शुरू हो गया है।

आप ने जहाँ फैसले को ऐतिहासिक जीत बताया है, वही बीजेपी ने लाल यादव को मिली अंतिम बल से के जरीबाल को तीनों की हालत नहीं में शुरू हो गया है।

आप ने जहाँ फैसले को ऐतिहासिक जीत बताया है, वही बीजेपी ने लाल यादव को मिली अंतिम बल से के जरीबाल को तीनों की हालत नहीं में शुरू हो गया है।

आप ने जहाँ फैसले को ऐतिहासिक जीत बताया है, वही बीजेपी ने लाल यादव को मिली अंतिम बल से के जरीबाल को तीनों की हालत नहीं में शुरू हो गया है।

आप ने जहाँ फैसले को ऐतिहासिक जीत बताया है, वही बीजेपी ने लाल यादव को मिली अंतिम बल से के जरीबाल को तीनों की हालत नहीं में शुरू हो गया है।

आप ने जहाँ फैसले को ऐतिहासिक जीत बताया है, वही बीजेपी ने लाल यादव को मिली अंतिम बल से के जरीबाल को तीनों की हालत नहीं में शुरू हो गया है।

आप ने जहाँ फैसले को ऐतिहासिक जीत बताया है, वही बीजेपी ने लाल यादव को मिली अंतिम बल से के जरीबाल को तीनों की हालत नहीं में शुरू हो गया है।

आप ने जहाँ फैसले को ऐतिहासिक जीत बताया है, वही बीजेपी ने लाल यादव को मिली अंतिम बल से के जरीबाल को तीनों की हालत नहीं में शुरू हो गया है।

**“CHALO GHAR
BANATE HAI”**

Mobile-9118221822

होम लोन, मोर्गज लोन, पર्सनल लोन, बिजनेस लोन

Interest
6.85 to 7.0 %

होम लोन, होम लोन ટ્રાન્સફર કે લિએ સંપર્ક કરો

ક્રાંતિ સમય

**સ્પેશિયલ
આફર**

અપને બિઝનેસ કો બઢાયે હુમારે સાથ

**ADVERTISEMENT
WITH US**

**સિંખ્ફ 1000/- રૂમાં
(1 મહીને કે લિએ)**

સંપર્ક કરો